

# न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी - श्री गिराज प्रसाद बसल तहसीलदार बयाना)

प्र०स० १०/२० ता० रजु. ६-१-२० किस्म मुकदमा ११ एलआर एक्ट निर्णय दिनांक ४-२-२०२०

सारकार

बनाम

श्यामलाल पुत्र मंगती चाकड खरगावली तह० बयाना जिला-भरतपुर।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का खरगावली ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम खरगावली के खसरा न० १३०, १३६ रकबा १-१४ हैक्ट में से रकबा ०-२६ हैक्ट किस्म भूमि पारशाह पर सम्वत २०१६ में श्री श्याम लाल पुत्र मंगती चाकड खरगावली तह० बयाना ने चना कर अतिक्रमण कर लिया है।


हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा ११, एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी बाबजूद सूचना अनुपस्थित अतः अतिक्रमी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर १३०, १३६ रकबा ०-२६ हैक्ट वाले ग्राम खरगावली से बेदखल किया जाता है। लगान ४-१६ का ५० गुणा पैन्ल्टी राशि २०८ रुपये से दण्डित किया जाता है। पैन्ल्टी की मांग कायमी टी०आर०ए० हाजा से कराई जावे। पैन्ल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को आदेश जारी हो।

पत्रावली फौसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक ४-२-२०२० को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस बयाना का प्राग लाभशी  
श. जे. सं. ०४ क. पैर नं. ३२  
दिनांक ५-२-२० का रजु. २०१९-२०  
रजु. सं. २०८ का प्राग लाभशी  
श. जे. सं. ०४ क. पैर नं. ३२

श्यामलाल पुत्र मंगती चाकड  
तहसीलदार बयाना

  
तहसीलदार  
बयाना (भरतपुर)

